FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम—मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... केदार

किस्म मुकदमा— भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या—29 सन्—2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर—29 / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.09.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता खसरा न0 781 रकबा 0.01 पर गैरसायल केदार पुत्र बदरी मीना जाति मीना निवासी जटवाड़ा द्वारा पत्थर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया बल्कि मौखिक रूप से कहा गया की रास्ते में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हम स्वयं हटा लेगें अतः गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू—राजस्व लगान दर 0.095 रूपये का 50 गुणा 5 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखल, वसूली हेतु आई0एल0आर0 / पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। रा0 ले0 स0 4 वर्ष 2022-23 की पृ0 सं0—63—पर—5 रु॰ मांग कायम की गई। (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	